

नगर निगम शिमला

नगर निगम शिमला की वर्ष 2016-17 की द्वितीय साधारण बैठक दिनांक

30.05.2016 को अपराह्न 2.30 बजे नवत भवन में हुई, के कार्यवृत्त।

उपस्थित:

1. श्री संजय चौहान	मा० महापौर-सभापति
2. श्री टिकेन्द्र सिंह पंवर	मा० उप-महापौर
3. श्री सुरेश भारद्वाज	मा० विधायक
4. श्रीमति कला शर्मा	मा० पार्षद
5. श्रीमति सरोज ठाकुर	मा० पार्षद
6. श्रीमति कान्ता सुयाल	मा० पार्षद
7. श्रीमति लक्ष्मी लक्ष्यप	मा० पार्षद
8. कुमारी दीशा ठाकुर	मा० पार्षद
9. श्रीमति निर्मला चौहान	मा० पार्षद
10. श्रीमति उमा देवी लखनपाल	मा० पार्षद
11. श्रीमति उमा कौशल	मा० पार्षद
12. श्री शशी शेखर	मा० पार्षद
13. श्री कल्याण चन्द	मा० पार्षद
14. श्रीमति रजनी सिंह	मा० पार्षद
15. श्रीमति सुषमा कुठियाला	मा० पार्षद
16. श्रीमति भारती गूद	मा० पार्षद
17. श्री मनोज कुठियाला	मा० पार्षद
18. श्री सुशान्त कपरेट	मा० पार्षद
19. श्रीमति सत्या जीण्डल	मा० पार्षद
20. श्री शैलेन्द्र चौहान	मा० पार्षद
21. श्री नरेन्द्र कुमार	मा० पार्षद
22. श्री कुलदीप ठाकुर	मा० पार्षद
23. श्रीमति कुसुम ठाकुर	मा० पार्षद
24. श्री सुरेन्द्र चौहान	मा० पार्षद
25. श्री दीपक रोहात	मा० पार्षद
26. श्री प्रवीन कुमार	मा० पार्षद
27. श्रीमति अर्चना धवन	मा० पार्षद
28. श्री संजय परमार	मा० पार्षद
29. श्री इन्द्रजीत सिंह	मा० पार्षद

ME

श्री पंकज राय, आयुक्त, नगर निगम शिमला।

3(30)

नगर निगम शिमला।

दिनांक 25/5/2016 को माननीय उप-महापौर श्री टिकेन्द्र पचर की अध्यक्षता में शहर में मीटर्ड सार्वजनिक नल उपलब्ध करवाने हेतु नीति निर्धारित करने हेतु बैठक हुई जिसमें समिति द्वारा चर्चा के उपरान्त निम्न आधार पर शिमला शहर में मीटर्ड सार्वजनिक नल उपलब्ध करवाने की सिफारिश की गई:-

1. मीटर्ड सार्वजनिक नल सम्बन्धित चार्ज के पार्षद की सिफारिश पर ऐसे स्थान पर लगाया जाये जहां कम से कम 05 परिवारों को लाभ पहुंचता हो।
2. मीटर्ड सार्वजनिक नल लगाने हेतु जिस व्यक्ति द्वारा आवेदन किया है उससे शपथ पत्र लिया जाये कि वह नल को अपने घर के अन्दर नहीं ले जायेगा तथा नल पांचों परिवारों के घरों के मध्य उचित स्थान पर ही लगाया जाये। पांचों परिवारों को एक समान पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आवेदनकर्ता को उक्त शपथ पत्र में यह भी बचनबद्धता देनी होगी की वह सभी परिवारों को एक समान पानी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगा और यदि किसी लाभार्थी द्वारा उरो पानी न देने बारे शिकायत नगर निगम को प्राप्त होगी तो नगर निगम शिमला उक्त सार्वजनिक नल को काटने की लिए रचतन्त्र होगी।
3. काटे गये मीटर्ड सार्वजनिक नल को आवेदनकर्ता के नाम पर पुनः बहाल नहीं किया जायेगा। काटा गया नल लाभार्थीयों में से किसी अन्य परिवार के सदस्य के नाम पर उपरोक्त शपथ पर देने के उपरान्त व अन्य शेष बचे तीन लाभार्थीयों की लिखित अन्जापति तथा स्थानीय पार्षद की सिफारिश पर ही बहाल किया जायेगा।
4. पूर्व में मीटर्ड सार्वजनिक नल उपलब्ध करवाने हेतु निर्धारित 25 मीटर की दूरी को समाप्त किया जाये।

15
मुख्य कार्यालय पत्र संख्या-22-बी

शिमला नगर निगम

-2-

नगर निगम प्रस्ताव नं०.....

3(30)

साधारण बंटक नं०.....

दिनांक 30.5.2016

को प्रतिनिधि।

3. गा.स. सावजनिक नल लगाने हेतु 100 मीटर तक की दूरी तक लाईन उपलब्ध करवाने का खर्चा व्यय नगर निगम वहन करेगी तथा इससे उपर का खर्चा लाभार्थी परिवार स्वयं वहन करेगा।
6. धार्मिक स्थलों जैसे मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारों आदि में सावजनिक नल सम्बन्धित वार्ड के पार्षद की सिफारिश पर बिना किसी दरतावेज के साधारण आवेदन पत्र व बिलों की अदायगी करने बारे शपथ पत्र प्राप्त होने पर प्रदान किया जाए।
7. मीटर्ड सावजनिक नल में पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कुनैवशन को ऐसी लाईन से दिया जाए जहां से लाभार्थियों को समुचित मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके।
11. मीटर्ड सावजनिक नल के विल रीडिंग के आधार पर रु० 15/- प्रति किलो लीटर की दर निर्धारित की जाए।

इसके अतिरिक्त समिति के सदस्यों द्वारा माननीय नगर निगम सदन सम्मुख बिल्डिंग वाय-लॉज बारे हुई चर्चा पर तुरन्त कार्यवाही अमल में लाए जाने का आग्रह भी किया गया ताकि बिजली के मीटर व सीवरेज कुनैवशनों के आधार पर समस्त शहरवासियों को पानी के कुनैवशन उपलब्ध करवाने बारे निर्णय लिया जा सके।

(सरोजिनी अग्रवाल),
सदस्य/पार्षद,
वार्ड नं० 2,
नगर निगम शिमला।

(राजनी सिंह),
सदस्य/पार्षद,
वार्ड नं० 11,
नगर निगम शिमला।

(दीपक रोहल),
सदस्य/पार्षद,
वार्ड नं० 23,
नगर निगम शिमला।

(सुशान्ति कपूर),
सदस्य/पार्षद,
वार्ड नं० 16,
नगर निगम शिमला।

(टिकैन्द पंवर),
अध्यक्ष,
माननीय उप-महापौर,
नगर निगम शिमला।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि शहर में राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं को निःशुल्क पानी का कुनैवशन उपलब्ध करवाया जाए।

Assistant Commissioner
Municipal Corporation
Simla